

बिहार सरकार
स्वास्थ्य निदेशालय
आदेश

आ0स0-6/एन-08-246/2018.....

/पटना-15, दिनांक-

दशरथ प्रसाद सिंह ट्रस्ट फॉर इन्स्टीच्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग रिसर्च एण्ड कम्युनिटी डेवलपमेंट, नरसिंहपुर, भाया-रमना, मुशहरी, मुजफ्फरपुर द्वारा प्रस्तावित नूतन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्राम-धनहारा, मानिक चौक, सीतामढी-843323 के अंतर्गत बी0एस0सी0 नर्सिंग संस्थान संचालन के लिए अनुमति हेतु आवेदन, शपथ-पत्र एवं अन्य अभिलेख समर्पित किया गया।

(2) आवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरांत नर्सिंग ट्रेनिंग-रिकोगनिशन एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ इक्जामिनेशंस ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 के नियम-04 के उपनियम-II के अन्तर्गत वर्णित प्रावधानानुसार नूतन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्राम-धनहारा, मानिक चौक, सीतामढी-843323 के नाम से बी0एस0सी0 नर्सिंग संस्थान की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान की जाती है।

(3) भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली द्वारा निर्गत मार्गदर्शन तथा स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक-116(6) दिनांक-15.02.2017 में दिए निदेश के आलोक में संस्थान द्वारा भवन निर्माण करने एवं नियमानुसार भौतिक संसाधनों एवं मानव संसाधनों की उपलब्धता के पश्चात् संस्थान द्वारा मान्यता के लिए स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को आवेदन पत्र समर्पित करना होगा तथा मान्यता प्राप्ति के पश्चात् ही विद्यार्थियों का नामांकन कर पठन-पाठन का कार्य आरंभ होगा।

ह0/-

(डा0 आर0डी0 रंजन),

निदेशक प्रमुख,

स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 1188(6)

पटना, दिनांक:- 02/11/18

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सचिव, दशरथ प्रसाद सिंह ट्रस्ट फॉर इन्स्टीच्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग रिसर्च एण्ड कम्युनिटी डेवलपमेंट, नरसिंहपुर, भाया-रमना, मुशहरी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/11/18

निदेशक प्रमुख,

स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।